



2026:AHC:61193

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रकरण संख्या - 3660 वर्ष 2026

चुलहई

.....याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमती कमलावती एवं एक अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अखिलेश कुमार पांडेय

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: आशीष कुमार

न्यायालय क्रमांक - 5

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. श्री हिमांशु पांडेय (ए.ओ.आर. संख्या ए/एच0155/2012) जो श्री अखिलेश कुमार पांडेय, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के स्थान पर उपस्थित हुए, तथा वादी-प्रतिवादियों की ओर से श्री आशीष कुमार द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव को सुना गया।

2. पक्षकारों द्वारा याचिका में वर्णित तथ्य यह हैं कि एक विवादित संपत्ति है, यथा अराजी संख्या 309, खाता संख्या- 550, क्षेत्रफल 0.587 हेक्टेयर। प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सरजमी देवी पत्नी मुसई @ भुलई (स्वर्गीय) प्रतिवादी-उत्तरदाता द्वितीय समूह के नाम दर्ज थी। सरजमी देवी का वर्ष 2001 में निधन हो गया जिसके पश्चात उनके पति मुसई @ भुलई (स्वर्गीय) प्रतिवादी-द्वितीय उत्तरदाता का नाम दिनांक 17.10.2001 को पी.ए.-11 जारी होने के द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया। प्रतिवादी-उत्तरदाता द्वितीय समूह के मुसई @ भुलई पुत्र सेठा ने दिनांक 31.12.2001 एवं 22.07.2002 को प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं के पक्ष

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में दो पंजीकृत विक्रय-पत्र निष्पादित किए। प्रतिवादी-याचिकाकर्ता का आरोप है कि विक्रय-पत्र के निष्पादन के पश्चात विक्रेता बेईमान हो गया और श्रीमती सरजमी देवी द्वारा दिनांक 12.05.2000 को एकमात्र पुत्री कमलावती के पक्ष में किए गए एक अपंजीकृत वसीयत-विलेख को बनाकर, वादी-प्रतिवादी ने कथित रूप से वादी-प्रतिवादी प्रथम समूह, श्रीमती कमलावती के पक्ष में अपने अधिकार वसीयत किए तथा यह आरोप लगाया कि उनके पति का चरित्र ढीला है। वादी-प्रतिवादी प्रथम समूह, श्रीमती कमलावती पत्नी श्री विनोद द्वारा विक्रय-पत्र रद्द करने का वाद मूल वाद संख्या 523 वर्ष 2002, श्रीमती कमलावती बनाम चुलहई एवं अन्य, संस्थित किया गया। उक्त वाद दिनांक 26.09.2002 को सत्यापित किया गया। उक्त वाद दिनांक 18.04.2003 को सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड), फरेंदा, जिला महाराजगंज के न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से डिक्री किया गया। प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे वाद संस्थित होने एवं निर्णय पारित होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परंतु दिनांक 18.04.2003 के निर्णय एवं आज्ञा के बारे में उसे पहली बार दिनांक 19.06.2008 को ज्ञान हुआ जब उप-प्रभागीय अधिकारी, नौतनवा के समक्ष संबंधित कार्यवाही लंबित थी। तत्पश्चात दिनांक 16.07.2008 को धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत आदेश IX नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दाखिल करने में विलंब की माफी के लिए आवेदन के साथ आदेश IX नियम 13 के अंतर्गत आवेदन दाखिल किया गया, परंतु दिनांक 13.01.2011 को सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) फरेंदा, महाराजगंज ने विविध प्रकरण संख्या- 60/08/74, चुलहई बनाम कमलावती में विलंब माफी आवेदन को अस्वीकार कर दिया जो कागज संख्या 6-क के रूप में पंजीकृत था।

3. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय क्रमांक 2, महाराजगंज के समक्ष विविध अपील संख्या- 7 वर्ष 2011 दाखिल की गई जो दिनांक 18.1.2013 को अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय क्रमांक- 2, महाराजगंज द्वारा अस्वीकार कर दी गई। अपीलीय न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि वादी-प्रतिवादी प्रथम समूह द्वारा संस्थित मूल वाद संख्या 523 वर्ष 2002 की कार्यवाहियों से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से दो वकालतनामे दाखिल किए गए थे और यह दायित्व वादी-प्रतिवादी का था कि वह उस अधिवक्ता को उपस्थित कराए जिसके हस्ताक्षर वकालतनामे पर थे तथा उस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करे। तत्पश्चात प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने दिनांक 30.04.2022 को आवेदन संख्या 34-ग दाखिल किया जिसमें यह सत्यापित करने के लिए कि अंगूठे का निशान प्रतिवादी-याचिकाकर्ता का है या

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं, विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रार्थना की गई। उक्त आवेदन सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड), फरेंदा, महाराजगंज के न्यायालय द्वारा विविध प्रकरण संख्या 60 वर्ष 2008, चुलहई बनाम कमलावती में दिनांक 07.12.2023 को अस्वीकार कर दिया गया जिसके विरुद्ध प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय क्रमांक-1, महाराजगंज के समक्ष विविध अपील संख्या- 66 वर्ष 2025 दाखिल की गई जो दिनांक 13.01.2026 को अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय क्रमांक- 1, महाराजगंज द्वारा अस्वीकार कर दी गई।

4. सिविल अपील संख्या 66 वर्ष 2025 में दिनांक 13.01.2026 को पारित आदेश, सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) फरेंदा, जिला महाराजगंज द्वारा दिनांक 07.12.2013 को पारित आदेश, विविध अपील संख्या 7 वर्ष 2011 में दिनांक 08.01.2013 को पारित आदेश तथा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) फरेंदा, जिला महाराजगंज द्वारा दिनांक 13.01.2011 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दाखिल की गई है जो इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.03.2026 को प्रस्तुत की गई है।

5. प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वादी-याचिकाकर्ता प्रथम समूह द्वारा संस्थित वाद स्वयं पोषणीय नहीं था, विशेष रूप से जब वादी-प्रतिवादी प्रथम समूह का संपूर्ण दावा एक अपंजीकृत वसीयत पर आधारित था। आगे तर्क यह है कि अन्यथा भी प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के पक्ष में दिनांक 31.12.2001 एवं 22.07.2002 को निष्पादित विक्रय-पत्रों को अधीनस्थ न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकता था, विशेष रूप से जब वे पंजीकृत विक्रय-पत्र थे। यह भी अभिकथित किया गया है कि विवादित वाद की कार्यवाही एकतरफा रूप में संचालित की गई। आदेश-पत्र के पृष्ठ-98 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह निवेदित किया गया कि दिनांक 26.09.2002 को समन निर्गत किए गए थे तथा दिनांक 10.12.2002 के आदेश के अनुसार समन की वापसी प्राप्त नहीं हुई थी और प्रकरण की अगली तिथि 08.04.2023 नियत की गई थी। तथापि, तिथि अग्रिम करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को दिनांक 04.01.2023 को स्वीकार करते हुए समाचार पत्र में प्रकाशन के आदेश पारित कर दिए गए। यह भी प्रतिपादित किया गया कि आदेश पत्र पर तामील के बारे में कोई आदेश न होते हुए भी वाद जारी रहा और एकपक्षीय रूप से निर्णीत हुआ। तर्क यह है कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने वकालतनामे पर अंगूठे के निशान को भी विवादित किया है जिसे वाद की लंबितता के ज्ञान का आधार बताया गया है। तथापि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के उस महत्वपूर्ण पहलू पर समुचित विचार नहीं

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया कि विपक्षीगण-प्रतिवादियों का प्रारंभ से ही यह विशिष्ट कथन रहा है कि उन्हें वाद की कोई जानकारी नहीं थी तथा उन्हें इसकी जानकारी दिनांक 19.06.2008 को तब हुई, जब पक्षकारों के मध्य भू-राजस्व अधिनियम की धारा 210 के अंतर्गत कार्यवाही लंबित थी। यह भी अभ्यर्थित किया गया है कि आक्षेपित आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिवादी-याचिकाकर्ता इस संबंध में निरूपाय हो गया है।

6. वादी-प्रतिवादी प्रथम समूह की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का प्रतिवाद करते हुए कहा कि चाहे जो हो, समाचारपत्र में प्रकाशन हुआ था और अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा नामित अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा दाखिल करने के संबंध में एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है तथा एक बार जब आदेश IX नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन के साथ दायर विलंब माफी आवेदन दिनांक 13.01.2011 को अस्वीकार कर दिया गया जिसकी अपील दिनांक 18.01.2013 को अस्वीकार कर दी गई, तो उस बिंदु पर कार्यवाही समाप्त हो गई थी और केवल इस कारण कि दिनांक 30.04.2022 को वकालतनामे पर लगे अंगूठे के निशान के बारे में विशेषज्ञ मत प्राप्त करने के लिए कागज संख्या 34-ग के रूप में आवेदन दाखिल किया गया, उस विषय को पुनः नहीं खोला जा सकता जो उस संबंध में अंतिमता को प्राप्त हो चुका है।

7. न्यायालय के समक्ष की गई प्रस्तुतियों को सुना गया एवं अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

8. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि मूल वाद संख्या- 523 वर्ष 2002 वादी-प्रतिवादी प्रथम समूह द्वारा चुलहई एवं अन्य के विरुद्ध सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड), फरेंदा, महाराजगंज के न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.09.2002 को संस्थित किया गया था। उक्त वाद दिनांक 18.04.2023 को सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) फरेंदा, महाराजगंज के न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से डिक्री किया गया। आदेश IX नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक आवेदन तथा विलंब माफी आवेदन प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किया गया जो सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड), फरेंदा, महाराजगंज के न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया तथा आदेश IX नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दाखिल करने में हुए विलंब की माफी की प्रार्थना करने वाला आवेदन संख्या 6-ग

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 13.01.2011 को अस्वीकार कर दिया गया जिसके विरुद्ध प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने विविध अपील संख्या 7 वर्ष 2011 दाखिल की जो दिनांक 18.01.2013 को अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय क्रमांक- 2, महाराजगंज द्वारा खारिज करने में परिणत हुई।

9. सरल एवं स्पष्ट शब्दों में, एक बार जब आदेश IX नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दाखिल करने में हुए विलंब की माफी की प्रार्थना करने वाला विलंब माफी आवेदन अस्वीकार कर दिया गया, तो स्वतः विधि के प्रवर्तन एवं विधिक कल्पना के आधार पर आदेश IX नियम 13 के अंतर्गत आवेदन भी खारिज समझा जाएगा।

10. केवल इस कारण कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने वकालतनामे पर अंगूठे का निशान उसका था या नहीं इसकी जांच के लिए विशेषज्ञ मत प्राप्त करने की प्रार्थना करते हुए दिनांक 30.04.2022 को आवेदन दाखिल किया, इससे यह नहीं माना जा सकता कि विलंब माफी आवेदन को खारिज करने वाला आदेश पुनर्जीवित हो जाएगा या कार्यवाहियाँ उसी की निरंतरता होंगी। उल्लेखनीय है कि आदेश IX नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दाखिल करने में हुए विलंब की माफी के लिए आवेदन वर्ष 2011 अर्थात् दिनांक 18.01.2011 को अस्वीकार किया गया तथा उसकी अपील दिनांक 18.01.2013 को अस्वीकार की गई। महत्वपूर्ण रूप से, दिनांक 13.01.2011 को विचारण न्यायालय द्वारा तथा दिनांक 18.01.2013 को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को वर्तमान याचिका द्वारा चुनौती दी जा रही है जो इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.03.2026 को प्रस्तुत की गई है। यद्यपि दिनांक 30.04.2022 के कागज संख्या 34 के आवेदन में वकालतनामे पर हस्ताक्षर प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के हैं या नहीं इसकी विशेषज्ञ रिपोर्ट की मांग की गई थी, परंतु यह धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत आवेदन की खारिजी के पश्चात एवं अपील की खारिजी के पश्चात दाखिल किया गया है। दिए गए तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, समग्र तथ्य स्थिति पर विचार करते हुए, यह न्यायालय वर्तमान मामले को हस्तक्षेप के योग्य प्रकरण नहीं पाता।

11. इस चरण पर, रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि उन्हें सक्षम न्यायालय के समक्ष विधि द्वारा परिकल्पित उपयुक्त कार्यवाही करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए तथा यदि कोई विलंब हुआ हो तो उसे क्षम्य किया जाए।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. न्यायालय के मतानुसार, किसी प्रकार का कोई निर्देश पारित किया जाना आवश्यक नहीं है, विशेषतः जब विधि के अंतर्गत कोई उपचार उपलब्ध हो तथा उसमें विलंब भी हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के लिए यह उपयुक्त होगा कि वह विलंब की क्षमा याचना सहित उपयुक्त कार्यवाही स्वयं प्रारंभ करे।

13. तदनुसार रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

24 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।